

2023/897
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
(प्रशासन गोंवों के संग अभियान 2023 कैम्प 11.05.23)

प्रकरण संख्या 84/23

दिनांक 26.6.2023

उन्वान

श्री बिरदी चन्द पुत्र शिवनाथ भीणा
सा. मोरला खातेदार

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

--: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का ऊँचा भू.अ.नि. अमरवासी एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंघा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम खेमा का खेड़ा प. ह. ऊँचा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 15 मे वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति / ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी का नाम	बृद्धिचन्द पुत्र शिवनाथ भीणा सा. मोरला खातेदार	बिरदी चन्द पुत्र शिवनाथ भीणा सा. मोरला खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार जहाजपुर जिला, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड मे अमल कर पालना प्ररतुत करें।
- प्रार्थी बिरदी चन्द पुत्र शिवनाथ भीणा सा. मोरला खातेदार
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा